

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी

पत्रांक 2895 /33-1/

दिनांक, झांसी, अप्रैल 21 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।


विषय:- जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईडिल कालौनी सिविल लाइन झांसी द्वारा 33/11 के०वी०एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० उपकेन्द्र से 33 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी-ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बबीन पन्ती व सैधनी आरक्षित वन ब्लकों की 2.448 हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 61 वृक्षों की शाखतरासी के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Trans/144301/2021।

संदर्भ:- 1.पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/६३/२०२२/एफ०सी०/३२ दिनांक-13.04.2023।
2. प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग झांसी का पत्रांक-4075/15-1 दिनांक 21.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के संबन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-13.04.2023 में दर्शाई गई आपत्ति का निराकरण कर संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जो की मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार मूल में।


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी

पृष्ठांकन संख्या- 2895 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग झांसी को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-21.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 4075 / 15-1

दिनांक, झांसी, अप्रैल 21 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०,
झांसी ।

विषय:- जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के०वी०एम०ई०एस० बबीना 220 के०वी० उपकेन्द्र से 33 के०वी० की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी-ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे० आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 61 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/04/63/2022/FC/32, दिनांक 13.04.2023 प्रस्ताव सं० FP/UP/Trans/144301/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा 01 बिन्दु की आपत्ति दर्शायी गयी। उक्त आपत्ति का निराकरण कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्ति का निराकरण संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	It has been replied that the area proposed for CA is a failurt plantation however no cogent reason has been pulforth for failure of plantation end also no details have been furnished w.r.t. the process by which the plantation has been declared failure.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.10 हे० वन क्षेत्र ठकुरपुरा की आरक्षित वनभूमि है। उक्त वन खण्ड का कुल क्षेत्रफल 6.10 हे० ही है। उक्त वन क्षेत्र में पूर्व में वृक्षारोपण कार्य कराया गया था। किसी भी समिति द्वारा वृक्षारोपण को असफल घोषित किये जाने सम्बन्धी वर्तमान में कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं दिनांक 11.03.2023 को निरीक्षण किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार मौके पर रिक्त क्षेत्र है जहाँ पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षारोपण कराया जा सकता है।

भवदीय.

(एम०पी० गौतम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या

/अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम०पी० गौतम)

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी